Expansion of Banking System in Rural Areas of Maharashtra

958. SHRI GOVINDRAO ADIK: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Government have a proposal under its consideration for expanding banking system in rural areas of Maharashtra.

(b) if so, the details thereof; and

(c) the names of places in rural areas of Maharashtra where new branches of the nationalised banks are proposed to be opened?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI MANMOHAN SINGH): (a) and (b) Under the extent policy of Reserve Bank of India it is left to the judgement of individual banks to identify potential centres/villages for opening of additional branches in the respective service areas of their rural branches. Fresh proposals for opening of additional rural branches at centres/villages falling within the service areas of the applicant banks and which are duly recommended by the concerned State Governments are considered by Reserve Bank of India. Due weightage is given to the special needs of backward/hilly/tribal/sparsely populated areas.

(c) The position of allotment of rural centres made in the State of Maharashtra under the branch licencing policy of the Reserve Bank of India, which are yet to be opened is indicated in the enclosed statement.

STATEMENT

Branch Expansion Plan—Statement showing the position of pending/unutilised branch licneces by the banks in respect of the rural centres allotted to them in Maharashtra as on 30 June 1995.

Sr. No.	Name of the bank	Name of the centre allotted (Rural)	District
1.	Bank of Maharashtra	i) Bharam ii) Shiroli Dhumala	Nasik Kolhapur
2.	Central Bank of India	i) Ambap	Kolhapur
3.	Bank of India	i) Punal	Kolhapur
4.	State Bank of India	i) Mehargaon	Dhule
5.	Indian Bank	i) Basa	Yavatmal

कोयलकारो परियोजना के कारण विस्थापित होने वाले व्यक्तियों को पुनर्वासित करना

959. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार में कोयलकारो परियोजना से विस्थापित होने वाले व्यक्तियों द्वारा इस परियोजना के विरुद्ध व्यापक विरोध किया जा रहा है;

(ख) क्या परियोजना पर अमल से पूर्व उन परियोजना से विस्थापित होने वाले व्यक्तियों को पुनर्वासित करने के लिए सरकार द्वारा कोई समान नीति बनाई गई है; और

(ग) इन परियोजना के प्रभावित लोगों की संख्या कितनी होगी और सरकार उनको पुनर्वासित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल): (क) बिहार में कोयलकारो

जलविद्युत परियोजना के बारे में कुछ आदिवासी, राजनीतिक और सामाजिक संगठनों जोकि परियोजना से विस्थापित होने वाले सम्भावित व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने के लिए उनके प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं, उनके द्वारा परियोजना का विरोध किए जाने के बारे में प्रेस में रिपोर्ट प्रकाशित हुई हैं।

(ख) परियोजना के निर्माण से विस्थापित होने वाली आबादी के लिए क्षेत्र में आदिवासी बहुल आबादी की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अपेक्षाओं के अनुरूप एक व्यापक पुनर्वास पैकेज तैयार किया गया है।

(ग) इस परियोजना से कुल मिलाकर 22359 व्यक्तियों (5035 परिवारों के प्रभावित होने की सम्भावना है। इनमें से 13263 व्यक्ति पूर्णतः प्रभावित गांवों और 9098 आंशिक रूप से प्रभावित गांवों से संबंधित होंगे। पुनर्वास उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ अधिगृहीत भूमि के लिए नकद मुआवजा, आवास के लिए भूमि, प्रत्येक विस्थापित परिवार के एक सदस्य की उपलब्धता एवं उपयुक्तता पर निर्भर करते हुए श्रेणी-4 अथवा लिपिकीय नौकरी का अवसर प्रदान करने, परिवहन अनुदान, आवश्यक नागरिक सुविधाएं, सांस्कृतिक एवं धार्मिक क्रियाकलापों की सुविधा और आदिवासियों के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है।

ग्रामीण जनता को ऋण दिया जाना

960. **श्री रामजीलालः** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार की जनता को, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने की क्या नीति है;

(ख) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि प्रत्येक बैंक इस नीति का पालन कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो वर्तमान वर्ष में ऋण के लिये कितने आवेदन प्राप्त हुए और कितने लोगों को ऋण दिये गये तथा शेष लोगों को ऋण न देने के क्या कारण हैं और उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह): (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी निवल बैंक ऋणों का कम से कम 40 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र के ऋणकर्ताओं को दें। उनसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे 40 प्रतिशत से समग्र लक्ष्य के अंतर्गत निवल बैंक ऋण का कम से कम 18 प्रतिशत कृषि क्षेत्र को दें। इसके अलावा, कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, आई आर डी पी हिताधिकारियों, डी आर आई हिताधिकारियों, आदि को 40 प्रतिशत के समग्र लक्ष्य के अंतर्गत निवल बैंक ऋण का कम से कम 10 प्रतिशत दिया जाना चाहिए। वाणिज्यिक बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी केन्द्रों में स्थित अपनी शाखाओं द्वारा दिए जाने वाले अग्रिमों के संबंध में प्रत्येक के लिए कम से कम 60 प्रतिशत का ऋण जमा अनुपात रखें। मार्च 1995 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों का प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने संबंधी कार्य-निष्पादन निम्नलिखित रहाः

	बकाया राशि (करोड़ रुपए में)
प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम	61794.43
निवल बैंक ऋण की तुलना में प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों का प्रतिशत	36.56%
कृषि क्षेत्र को अग्रिम	23512.93
निवल बैंक ऋण की तुलना में कृषि क्षेत्र को अग्रिमों का प्रतिशत	13.91%
कमजोर वर्गों को अग्रिम	13918.19
निवल बैंक जमा के संबंध में कमजोर वर्गों को अग्रिमों का प्रतिशत	8.23%

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक में ऐसे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि वर्ष 1993-94 (नवीनतम उपलब्ध) के लिए ग्रामीण ऋण के संबंध में सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के तहत तैयार वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत लक्ष्य एवं उपलब्धियां संलग्न विवरण में दिए गये हैं।